ए.12018/2/2017-डीआरएस

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(औषध विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 7th अगस्त, 2024

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप औषधि नियंत्रक (भारत) समूह-'ए' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की जांच कर रहा है। इस संबंध में भर्ती नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर मामले में सभी हितधारकों से टिप्पणियां, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं। निर्दिष्ट अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. कृपया, अधोहस्ताक्षरी के कक्ष संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को या bikash.mahato@nic.in पर अपनी राय भेज सकते हैं।

संलग्न: उपरोक्तानुसार.

किरण कुमार कर्लापु

(डॉ. किरण कुमार कर्लापु)

निदेशक (डीआर)

टेली:- 011-23062928

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उप औषध नियंत्रक (भारत)।	39 * (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (1,18,500 - 2,14,100 रू.) ।

चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : सहायक औषध नियंत्रक (भारत) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपये) ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा निर्धारित प्रासंगिक क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। नोट : जहां कनिष्ठों जिन्होंने अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उन्हें प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि वे ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो साल जो भी कम हो, अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से कम न हों और अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने पहले ही ऐसी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक या स्वायत संगठनों के अधिकारी;-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों,-

(i) भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से नैदानिक औषध विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या चिकित्सा में स्नातक डिग्री; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके तहत नियमों से संबंधित मामलों से निपटने में 12 साल का अनुभव या औषधियों के मानकीकरण या औषधियों के मानकों के नियंत्रण या औषधियों के निर्माण या परीक्षण से निपटने में 11 साल का अनुभव।

या

(ii) भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या नैदानिक औषध विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके तहत नियमों से संबंधित मामलों से निपटने में 10 साल का अनुभव या औषधियों के मानकीकरण या औषधियों के मानकों के नियंत्रण या औषधियों के निर्माण या परीक्षण से निपटने में 10 साल का अनुभव।

नोट 1 : फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

नोट 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष; 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य ; 3. औषध नियंत्रक (भारत) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन - सदस्य । 4. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।